

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बिजोलिया  
जिला- भीलवाडा



**\* राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र \***

क्रमांक:RJ24/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (OBC)/6525  
दिनांक:14-06-2016

आवेदक का आधार नम्बर : NO

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : NO

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री अमित कुमार धाकड़ पुत्र श्री रघुनाथ धाकड़ राजस्थान राज्य के जिला भीलवाडा पता- विक्रमपुरा पोस्ट- विक्रमपुरा तह-बिजोलिया ,भीलवाडा के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त श्री अमित कुमार धाकड़ राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 15 धाकड़ वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03 उक्त श्री अमित कुमार धाकड़ आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

\*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बिजोलिया



1624170910101904